

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(25)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/17/ 1289

दिनांक : 22-1-18

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 01-199 दिनांक 01.01.2018 एवं 312-509 दिनांक 04.01.2018 तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है। इसके साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प013(5)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 09.01.2018 के अनुसार कार्यवाही की जावे।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.1(क)(25)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/17/ 1290-1489 दिनांक : 22-1-18
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
02. आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
03. सुरक्षित पत्रावली।



(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक